# बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

( बिहार सरकार का उपक्रम )

कौटिल्य नगर, पटना–14.

**विनय कुमार**
भा0पु0से0
पुलिस महानिदेशक सह–अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक

**दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2224529**
**मोबाईल नं0 : 9471006800**
**ई–मेल : biharpolice_nigam@yahoo.co.in**

संचिका सं0–अपील–प्राधि0–14/2023 पटना, दिनांक–................2023

**आदेश सं0 –321/2023**

मे0 सृष्टि निर्माण द्वारा प्रो0 बलजीत सिंह बरनाला (संवेदक), पिता–श्री उदय शंकर, पता–सालेमपुर डुमरा, आशियाना मोड़, बी0एम0पी0 रोड़, पोस्ट–बि0 भी0 कॉलेज, थाना–हवाई अड्डा, पटना–800014 द्वारा दिनांक–10.07.2023 को, मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश सं0–225/2023, सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 2199 दिनांक–22.06.2023 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक–एच0क्यू0 2287 दिनांक– 03.07.2023 के द्वारा उनके निबंधन को कालीकृत किये जाने हेतु पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया।

2. इस मामले से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022–23 के माध्यम से, अन्य कार्यों के अतिरिक्त क्रम सं0–11 से, निम्नांकित कार्य के लिये निविदा आमंत्रित की गयी थी:–

क्रम सं0–11- पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत नकरदेई थाना में थाना भवन (G+3), आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।

3. ई–निविदा की कंडिका–35 में निम्न शर्तें अंकित थी :–

"35– निविदा में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।"

4. ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022.23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि–23.06.2022 से 30.06.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गयी थी।

5. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 1853 दिनांक–28.06.2022 के द्वारा ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि– 12.07.2022 से 21.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।

6. उक्त ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 के आलोक में 03 संवेदकों के द्वारा यथा–मे0 मेहेन्दिया कंस्ट्रक्सन प्रा0 लि0, 2. सैयद मुमताज अख्तर एंव 3. मे0 सृष्टि निर्माण के द्वारा निविदा समर्पित किया गया।

7. मे0 सृष्टि निर्माण द्वारा निविदा की शर्त सं0–35 के अनुपालन में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (Performance Certificate) के रूप में Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Ltd. के Dy. General Manager द्वारा निर्गत पत्र सं0–BMSIC/80070/10-2021/689 दिनांक–08.06.2022 समर्पित किया गया था।

8. मे0 सृष्टि निर्माण द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र (Performance Certificate) निर्गत कार्यालय यथा– Dy. General Manager (Projects), Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Ltd., Hospital Road, Shastri Nagar, Patna-800023, Email ID-

sagar.dgmdmsicl@gmail.com को निविदाकार मे0 सृष्टि निर्माण द्वारा समर्पित कार्यानुभव प्रमाण पत्र सत्यापित करने हेतु, निबंधित डाक से प्रेषित निगम के पत्र सं0–SE 40 दिनांक–14.03.2023 के साथ–साथ ई–मेल से अनुरोध किया गया।

9. निगम के उक्त अनुरोध के आलोक में DGM (Projects), East & West Champaran, Siwan, Nalanda and Darbhanga, Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Ltd., (BMSICL), 4th Floor, Bihar State Building Construction Corporation Ltd., Shastri Nagar, Patna- 800023 ने दिनांक–24.03.2023 को अपराह्न 03:44 बजे भेजे गये ई–मेल से सूचित किया कि " The attached experience certificate is not issued by BMSICL Office. This is for your information and necessary action please."

10. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मे0 सृष्टि निर्माण एवं प्रोपराईटर श्री बलजीत सिंह बरनाला, पिता–श्री उदय शंकर, पता–सालेमपुर डुमरा, आशियाना मोड़, बी0एम0पी0 रोड़, पोस्ट–बि0 भी0 कॉलेज, थाना–हवाई अड्डा, पटना–800014 के विरूद्ध आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने के लिये पटना हवाई अड्डा थाना में भारतीय दण्ड संहिता की धारा–467, 468, 471, 420, 120बी एवं 511 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, दर्ज प्राथमिकी की संख्या–पटना हवाई अड्डा थाना कांड सं0–83/2023 दिनांक–26.04.2023 है।

11. तत्पश्चात, अपराधिक षडयंत्र के तहत जाली अनुभव प्रमाण पत्र निगम को समर्पित कर छल पूर्वक निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने हेतु बिहार निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11(क) 7 के प्रावधानों के तहत मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश सं0–225/2023, सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 2199 दिनांक–22.06.2023 के द्वारा मे0 सृष्टि निर्माण के निबंधन सं0–प्रथम 2/2018 (प्रोपराईटर) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को कालीसूची में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया।

12. पुनः मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के हस्ताक्षर से निर्गत शुद्धि पत्र ज्ञापांक–एच0क्यू0 2287 दिनांक– 03.07.2023 के द्वारा मे0 सृष्टि निर्माण के निबंधन सं0–प्रथम 2/2018 (प्रोपराईटर) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि 21.07.2022 से 05 वर्षों के लिये कालीकृत किये जाने का आदेश निर्गत किया गया।

13. अपीलकर्त्ता द्वारा अपने अपील आवेदन में मुख्य अभियंता द्वारा उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये बिना उनके निबंधन को कालीकृत किये जाने की बात कही गयी। इस संदर्भ में अपीलकर्त्ता द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक–656 दिनांक–26.05.2023 का उल्लेख करते हुये, इनकी प्रति अपील आवेदन के साथ संलग्न की गयी है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, अपीलकर्त्ता द्वारा उनके निबंधन की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उसे काली सूची में डालने की बात कही गयी है।

14. मे0 सृष्टि निर्माण द्वारा प्रो0 बलजीत सिंह बरनाला (संवेदक) के उपर्युक्त अपील आवेदन के अवलोकन के उपरान्त इस अपील में सुनवाई की तिथि 31.07.2023 निर्धारित की गयी। सुनवाई में अपीलकर्त्ता द्वारा बताया गया कि मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 1873 दिनांक–01.06.2023, जिससे निबंधन कालीकृत किये जाने के संबंध में उनके कारण पृच्छा की गयी थी, के साथ संबंधित कागजात तथा गलत पाये गये अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। मुख्य अभियंता द्वारा उन्हें अपना

पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान किये बिना उनके निबंधन को काली सूची में डालने का आदेश पारित किया गया।

दिनांक–31.07.2023 को सुनवाई के दौरान अपीलकर्त्ता द्वारा वांछित कागजात उन्हें उपलब्ध करायी गयी तथा बाद में सुनवाई की अगली तिथि 16.08.2023 निर्धारित की गयी।

15. दिनांक–16.08.2023 को सुनवाई हेतु अपीलकर्त्ता उपस्थित हुये। पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक–31.07.2023 को दाखिल अभिलेखों के आलोक में और कोई तथ्य उन्हें मौखिक या लिखित रूप से दायर नहीं करना है।

16. अपीलकर्त्ता द्वारा अपने अपील आवेदन में मुख्यतः 03 बाते कही गयी है– 1. उनके द्वारा निविदा दिनांक–21.07.2022 को दी गयी थी, वर्णित निविदा आमंत्रण सूचना की कंडिका–08 के अनुसार वर्णित कार्य की bid validity मात्र 120 दिन की ही थी। 2. उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, तथा 3. उनके निबंधन के अवधि समाप्त हो जाने के बाद उसे काली सूची में डाला गया। अपीलकर्त्ता का कहना है कि उनके निबंधन अवधि दिनांक–14.04.2023 को समाप्त हो गयी, उन्हें काली सूची में डालने का प्रथम आदेश दिनांक–22.06.2023 को निर्गत हुआ, जिसमें उन्हें पहले असीमित अवधि के लिये काली सूची में डाला गया। बाद में मुख्य अभियंता के ज्ञापांक–एच0क्यू0 2287 दिनांक–03.07.2023 के द्वारा इसे संशोधित करते हुये 05 वर्ष कर दिया गया।

17. अपीलकर्त्ता द्वारा आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–467, 468, 471, 420, 120बी एवं 511 के तहत अपराध के रूप में परिभाषित है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलकर्त्ता द्वारा जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार करने तथा उसे निविदा में अपलोड कर उपयोग करने का कार्य Bid Validity की अवधि प्रारंभ होने के समय ही किया गया। इस तरह, जाली कागजात बनाने, उपयोग करने तथा निगम को अंधकार में रखकर धोखा देने का अपराध निविदा अपलोड करने के समय या उसके पूर्व ही पूर्ण हो चुका था। अतः Bid Validity की अवधि समाप्त होने से इन अपराधिक कार्यों के कारित किये जाने का कोई संबंध नहीं है।

18. जहाँ तक निबंधन पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने के लिये संबंधित कागजात एवं समुचित अवसर प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, अपीलकर्त्ता को दिनांक–31.07.2023 को सुनवाई के दौरान उनके द्वारा मांगे गये कागजात उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। दिनांक–16.08.2023 की सुनवाई में उनके द्वारा बताया गया कि दाखिल अपील आवेदन के अतिरिक्त और कोई तथ्य उन्हें मौखिक या लिखित रूप से नहीं दायर करना है। इस तरह इस वाद में अपना पक्ष रखने हेतु अपीलकर्त्ता को समुचित अवसर प्रदान किया गया।

19. अपीलकर्त्ता के निबंधन को आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास के लिये किया गया है। इस संबंध में सुनवाई के दौरान अपीलकर्त्ता के द्वारा कोई सफाई नहीं दी गयी और न ही इन तथ्यों से इन्कार किया गया।

20. अपीलकर्त्ता का कहना है कि उनके निबंधन की अवधि समाप्त होने के बाद उनके निबंधन को काली सूची में सर्वप्रथम अनिश्चित काल के लिए तथा बाद में संशोधित कर पाँच वर्षों के लिए डाला गया है। इस संबंध में SBD के Section 1: Instruction to Bidders (ITB) की कंडिका 33 में प्रावधान है कि यदि कोई निविदाकार अनैतिक तथा धोखाधरी के माध्यम से

निविदा में सफल होने का प्रयास करता है या सफल हो जाता है तो उस निविदाकार या उसकी कंपनी को या तो अनिश्चित काल के लिए या किसी खास अवधि के लिए भविष्य के निविदाओं में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया जायेगा। इस प्रावधान के तहत निबंधन की अवधि समाप्त होने का कोई उल्लेख नहीं है बल्कि अनैतिक एवं धोखाधरी के कार्यों में संलिप्त निविदाकारों को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाना है। अपीलकर्त्ता SBD की इस कंडिका की शर्तों से सहमत होते हुए ही निविदा भरे हैं। इसके अतिरिक्त NIT की कंडिका–41 (ङ) एवं (च) निम्नवत हैः–

"कंडिका–41 (ङ)– निविदा में सभी प्रमाण–पत्र, काजात, विवरणी सत्य है।

कंडिका–41 (च)– उपरोक्त कंडिका 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने, अथवा कंडिका 'ङ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली या जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे उपर विधिसम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।"

अतः निबंधन की अवधि समाप्त होने या निबंधन की कम अवधि ही शेष रहने आदि का प्रभाव, निबंधन को काली सूची में डालने या निविदाकार को भविष्य में निविदा में शामिल होने से वंचित किये जाने का कोई संबंध नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि निबंधन नियमावली के अनुसार किसी कदाचार के कारण बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के किसी श्रेणी में निबंधित ठीकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जा सकेगा। ऐसे निविदाकार जो किसी अन्य विभाग में निबंधित है परंतु निगम में निबंधित नहीं है, अनैतिक एवं धोखाधरी के माध्यम से निगम में निविदा भरते हैं तथा पकड़े जाते हैं तो ऐसे स्थिति में उन्हें निगम में भविष्य की निविदाओं में भाग लेने के लिए एक निश्चित काल खण्ड तक वंचित किया जा सकता है। SBD की कंडिका 33 का भी यही अभिप्राय है।

21. जाली कागजात बनाना तथा धोखाधरी करना अपराधिक कार्य के रूप में भारतीय दण्ड विधान में परिभाषित है। निबंधन को काली सूची में दर्ज करना या निविदाकार को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाना एक प्रशासनिक कार्रवाई है। अपराधिक कार्रवाई तथा प्रशासनिक कार्रवाई समानांतर रूप से संचालित की जा सकती है। ऐसा करना Double Jeopardy के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं माना जायेगा। अपराधिक कार्रवाई में किसी भी आरोप को संदेह से परे (Beyond Reasonable Doubt) स्थिति के अनुरूप प्रमाणित करना पड़ता है। प्रशासनिक कार्रवाई में आरोप को संभावनाओं की बहुलता (Preponderance of Probability) के अनुरूप प्रमाणित किया जाता है। अतः काण्ड दर्ज होने की अपराधिक कार्रवाई तथा निबंधन के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई एक साथ की जा सकती है।

अतः SBD के Section 1: Instruction to Bidders (ITB) के तहत मे0 सृष्टि निर्माण एवं संवेदक बलजीत सिंह बरनाला को उनके द्वारा ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022–23 के क्रम सं0–11- पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत नकरदेई थाना में थाना भवन (G+3), आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये निविदा दाखिल करने की तिथि से 05 साल के लिये निविदा में भाग लेने से वंचित करने का आदेश दिया जाता है। निबंधन पदाधिकारी का आदेश तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

अपील अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–

**अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,**
**बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम**

ज्ञापांक ..... ./ पटना, दिनांक – .....2023

प्रतिलिपिः–मे0 सृष्टि निर्माण द्वारा प्रो0 बलजीत सिंह बरनाला (संवेदक), पिता–श्री उदय शंकर, पता–सालेमपुर डुमरा, आशियाना मोड़, बी0एम0पी0 रोड़, पोस्ट–बि0 भी0 कॉलेज, थाना–हवाई अड्डा, पटना–800014 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

**अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,**
**बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम**

ज्ञापांक ..... ./ पटना, दिनांक – .....2023

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदशेक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं अधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य कार्यपालक अभियंता, बिहार ग्रामीण कार्य विकास अधिकरण, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत
संरचना विकास निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

**अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,**
**बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम**

ज्ञापांक 10 2959 ./ पटना, दिनांक – 21/8/2023

प्रतिलिपिः– श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/8/23

**अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,**
**बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम**